समाहरणालय, लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभेक्ता मामलें विभाग, झारखण्ड रांची के पत्र संख्या 293 दिनांक 19.01.2017 के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली को और अधिक कारगर बनाने हेतु खाद्यानों का परिवहन डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017– 18 एवं 2018– 19 में पूर्वविक्कता प्राप्त गृहस्थ योजना एवं अन्तयोदय योजना के तहत् खाद्यान (गेहूँ, चावल, चीनी एवं नमक इत्यादि) एवं अन्य विभाग के द्वारा निदेशित खाद्य सामग्री को प्रखण्ड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उठाव कर जन–वितरण प्रणाली के दुकानों तक पहुँचाने का कार्य किया जाना है। कई स्थानों पर ऐसे मार्ग है, जिन पर ट्रक का अवागमन संभव नही है। इस हेतु मिनी ट्रक, ट्रैक्टर–ट्रैलर, टाटा– 407, एवं पिकअपवैन वाहनों से परिवहन–सह–हथालन हेतु डोर स्टेप डिलिवरी की निविदा लातेहार जिला के सभी प्रखण्डों (चंदवा प्रखण्ड छोड़कर) के लिए अलग–अलग आमंत्रित की जाती है। निविदादाता एक से अधिक प्रखण्डों में निविदा भर सकते है।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 491/रांची दिनांक 11.02.2016 के कंडिका 08 में निदेशित है कि झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन–वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यानों के डोर स्टेप डिलिवरी हेतु निर्धारित राशि 30.00 रू0 प्रति किव्टंल से बढाकर 42.50 रू0 प्रति किव्टंल किया गया है। इसमें से 2.5 रू0 प्रति किव्टंल डोर स्टेप डिलिवरी के वाहनों में जी.पी.एस. ट्रैकिंग हेतु कर्णकित है, जिसका कियान्वयन विभागीय स्तर से की जायेगी, जबकि शेष 40.00 रू0 डोर स्टेप डिलिवरी के लिए होगी। विभागीय पत्रांक 1132/ रांची दिनांक 18.03.2016 के आलोक में 30.00 प्रति किव्टंल में अन्यून दर पर निविदा का निस्तारण किया जायेगा।

अतः डोर स्टेप डिलिवरी हेतु निविदा की अधिकतम राशि 40.00 (चालीस) रू0 प्रति किव्टंल निर्धारित करते हुए निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा हेतु निम्नलिखित अहर्त्ता होना आवश्यक हैः–

1. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''तकनीकी बीड'' लिखकर उसमें निविदा के साथ– साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण –पत्र (अग्रधन राशि का ड्राफ्ट/ एन.एस.सी. सहित) एवं बैंक गारंटी एवं उसे मुहर बन्द करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।

2. दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''वित्तीय बीड'' अंकित करेंगे। उस लिफाफे में केवल दर अंकित करेंगे और उस लिफाफा में डालकर उसे मुहर बन्द करेंगे। लिफाफा में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायेगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ–साफ अेकित करेंगे।

3. ''तकनीक बीड'' एवं ''वित्तीय बीड'' दोनों मुहर बन्द लिफाफे के उपर प्रखण्ड का नाम अंकित करेंगे। उस लिफाफा पर अपना नाम पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त लातेहार, के पदनाम से निविदा डालेंगे।

4. अग्रधन की राशि 50,000.00 (पच्चास हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उपायुक्त, लातेहार के नाम से भुगतेय डालेंगे।

5. कम से कम 2,50,0000.00 (पच्चीस लाख) रूपये का व्यक्तिगत सम्पति प्रमाण–पत्र अंचल अधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपर्षद द्वारा निर्गत किया हुआ संलग्न होना आवश्यक है।

6. 5,00,000.00 (पांच लाख) रूपये का बैंक गारन्टी प्रमाण पत्र उपायुक्त लातेहार के नाम से होना आवश्यक है। बैंक गारन्टी निविदा तिथि से न्युनतम दो वर्ष का होना आवश्यक है।

7. निविदादाता का आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर पर निर्गत होना आवश्यक है।

8. निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र उपायुक्त स्तर से बना होना आवश्यक है। चरित्र प्रमाण पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से 6 (छः) माह के अन्दर होना आवश्यक है।

9. निविदादाता का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर का नमूना तकनीकी निविदा में संलग्न होना आवश्यक है।

10 वाहन का निबंधन, बीमा तथा टैक्स अद्यतन भुगतान कागजात संलग्न होना आवश्यक है।

11 निविदादाता का आयकर रिटर्न विगत् तीन वर्षो (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

12 निविदादाता का अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो) संलग्न की जाए।

13 निविदा पत्र में निविदादाता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। निविदा पत्र एवं संलग्न कागजातों पर निविदादाता का हस्ताक्षर नहीं होने पर उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

14 निविदादाता के नाम से कम से कम दो (02) गाड़ी लातेहार जिला से निबंधित एवं दो गाड़ी निविदादाता के नाम से या उनके परिवार (स्वयं निविदादाता, पत्नी, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री के नाम से) होना आवश्यक है उसके अतिरिक्त कम से कम चार वाहनो का लीज संबंधित एकरारनामा जिसमें यह उल्लेखित हो कि संबंधित गाड़ीयों का उपयोग खाद्यान्न के परिवहन हेतु ही की जायेगी, होने संबंधित प्राधिकार पत्र / प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15 निविदादाता का चयन होने के उपरांत डोर स्टेप डिलीवरी में उपयोग की जाने वाले सभी वाहनों में जी0पी0एस0 ट्रेकिंग मशीन लगाना अनिवार्य होगा।

16 डोर स्टेप डिलीवरी के तहत खाद्यानों का उठाव एवं पहुंचाने में उपयोग की जाने वाली वाहनों में दोनो तरफ (आगे पीछे छोड़कर) पीला रंग सें Back Ground में काले अक्षर से "जनवितरण प्रणाली के खाद्यान्न का परिवहन" सूचना पेंटिग किया जाना आवश्यक होगा।

17 अलग–अलग प्रखण्डों के लिए निविदा भरे जाने पर अग्रधन की राशि (बैंक ड्राफ्ट) बैंक गारन्टी, वाहन इत्यादि का कागजात अलग–अलग देना अनिवार्य है। (प्रत्येक प्रखण्ड के लिए अलग अलग निविदादाता के नाम से निबंधित वाहन एवं चार वाहनों का लीज संबंधित एकरारनामा) होना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रखण्डों के लिए अलग अलग आमंत्रित की जाती है तथा अन्य विस्तृत शर्त एवं निविदा पत्र जिला आपूर्ति कार्यालय लातेहार से कार्यावधि में 1000.00 (एक हजार) रूप्ये का बैंक ड्राफ्ट जमाकर दिनांक 10.05.2017 को 04.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त लातेहार के नाम से भुगतेय होना चाहिए। इस राशि को वापस नहीं किया जायेगा। निविदादाता को वगैर कारण बताये निविदा रदद् करने / स्थगित् करने / समय में परिवर्तन करने / दर वार्ता करने / एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य वितरण करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

पूर्ण रूप से भरी निविदा 02 सील लिफाफों "तकनीकी बीड" एवं "वित्तीय बीड" में अलग–अलग दोनों लिफाफों को अन्य एक बडे लिफाफें में अपना नाम, पुरा पता (किस प्रखण्ड के लिए निविदा भरी जा रही है) अंकित करते हुए दिनांक 10.05.2017 को अपराह्न 05.00 बजे तक जिला आपूर्ति कार्यालय लातेहार में रखे बंद डब्बे/बक्सा में दिया जा सकता है। उपायुक्त लातेहार के कार्यालय वेश्म में दिनांक 11.05.2017 को अपराहन 01.00 बजे खोला जायेगा। उस दौरान निविदादाता को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होती है तो उससे अगले दिन निविदा खोलने की तिथि निर्धारित होगी।

निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचनापट्ट एवं लातेहार जिला के वेबसाईट www.latehar.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है।

18/04/17

उपायुक्त
लातेहार।